न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. मोतीमहल ग्वालियर

निगरानी प्र.क्र. /2015 जिला उमरिया

निग - 408 - III-15

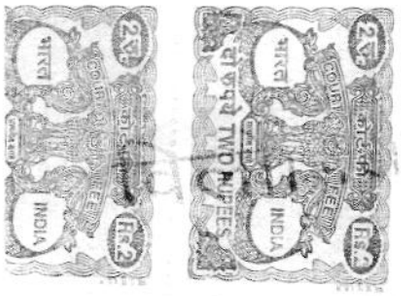

1. रामदयाल पिता सगरू बानी ग्राम गिरोई, जिला शहडोल म.प्र.
2. कौशल गुप्ता पिता प्रहलाद गुप्ता ग्राम बल्लोड, थाना व तहसील मानपुर, जिला उमरिया
3. राधे गुप्ता पिता जमुना,
4. बल्लू गुप्ता पिता विजय किशोर गुप्ता दोनो ग्राम मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. रामसिया गौतम पिता कमला प्रसाद ब्राह्मण
2. राजेश रतन गौतम पिता रामसिया ब्राह्मण
3. निवासी दोनो ग्राम मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया

——**प्रतिप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसील मानपुर जिला उमरिया म.प्र. निर्णय दिनांक 16.11.2015 पारित प्रकरण क्रमांक 02/अ–70/15–16 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

श्रीमान् जी प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नआधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधिनस्थ विचरण न्यायालय तहसील मानपुर का आदेश प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के प्रकाश में विधिवत जाँच एवं साक्ष्य के बिना पारित किये

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4082-तीन/2015 जिला उमरिया रामदयाल विरूद्ध रामसिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ओ.पी. शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री आनन्द कुमार दुबे उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार मानपुरा के प्रकरण क्रमांक 02/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 16-11-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-12-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर् है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इंस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

15/01/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेज जाये ।

3 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 15/01/19
सदस्य